

बंधुवा  
प्रिय

70

अंचल अधिकारी ..... १२५१ का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- ६२८/२०१६-१८

दाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनीय 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच  
एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016  
सहपठित-श्री अनुज गुखर्जा, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि  
सुधार विभाग का पत्र संख्या-३-खा०म०निति-११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक-०३.०९.१९८५  
एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-९१४/रा०, दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित  
निदेश के अनुपालन में गैरमरुआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच  
प्रारम्भ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया  
गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- भूतपुरा अ०ड़ा थाना- १०७ खाता संख्या- १३ प्लॉट संख्या- .  
रकवा- १.१५ एकड़ की भूमि जो गैरमरुआ खास, अनावाद बिहार

(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-॥  
के जिल्द संख्या- ५१ के पृष्ठ संख्या- ८०६५-६४ पर जमाबंदी रैयत बूतपुरा मंडल  
के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की  
भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी दो संदिग्ध प्रान्तिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत  
होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के  
आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार  
पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं  
राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की  
सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम  
1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से  
संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें,  
कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार  
अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत राज्य प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशरित किया  
जाय।

अभिलेख दिनांक- २६.७.१६ तो उपरक्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित  
अंचल अधिकारी

११७/१८  
अंचल अधिकारी  
१२५१/१८

तिथि

19.10.20

पदाधिकारी आदेश

अम्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक-...S. 11.20..... को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,  
निरसा।

5.11.20

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोई भी राजस्व कागजात/साक्ष्य समर्पित नहीं कराया गया। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक-...5.11.20..... को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,  
निरसा।

23.11.20

अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-भालू-  
रायडीह, मौजा नं-107, साबिक खाता सं-23, साबिक प्लॉट सं-अंकित नाहीह, रकवा-10150 जिसका हाल खाता सं-75, हाल

प्लॉट सं०- कृष्णत नगरी है, रकवा- 1.15 एकड़ गत सर्वे खतियान एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक-01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार वल्लराम मंडल के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-64 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-64 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

  
अंचल अधिकारी,  
निरसा।